



F-07-07

**सेना उड़नयोज्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O.,  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 1846/Type Approval No. 1846**

**मद/FOR ITEM: इनवार्ड/आउटवार्ड रिलीफ वाल्व (35 केपीए) पार्ट सं. ए1के-आई5-2041-000-000**  
**Inward /Outward Relief Valve (35 kPa) Part No. A1K-I5-2041-000-000**

यह प्रमाणित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलेपमेंट एजेंसी (एडीए), बेंगलूरु - 560 017, द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी), बी-36, चंदका इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ.- केआईआईटी(50), भुबनेश्वर, उड़ीसा - 751 024, द्वारा उत्पादित "इनवार्ड/आउटवार्ड रिलीफ वाल्व (35 केपीए)", पार्ट सं. ए1के-आई5-2041-000-000, को असेंब्ली आरेखन सं. ए1के-आई5-2041-000-000, दिनांक 01 फरवरी 2001 के अनुसार एच जे टी-36 (आईजेटी) वायुयान के ईंधन प्रणाली में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (वायुयान) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश सं. डी/एजीएम/डी-एमएस/पी175/092/00, इश्यू-शून्य, संशोधन: 01, दिनांक 15 मई 2014 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Inward/Outward Relief Valve (35 kPa)" bearing the Part No. A1K-I5-2041-000-000 designed & developed by Aeronautical Development Agency, (ADA), Bengaluru-560 017 and manufactured by M/s Central Tool Room & Training Centre (CTTC), B-36, Chandaka Industrial Area, PO - KIIT (50), Bhubaneshwar, Orissa-751 024, is hereby approved for production as per Assembly Drawing No. A1K-I5-2041-000-000, Dt.: 01<sup>st</sup> Feb. 2001 for use on HJT-36 (IJT) Aircraft) Fuel system. The product has been tested in co-ordination with RCMA (Aircraft), as per Governing Technical Specification No. D/AGM/D-MS/P175/092/00, Issue - Nil, Amendment: 01, Dated: 15<sup>th</sup> May 2014. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2019 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (वायुयान), बेंगलूर - 560 037, से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2019 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), Bengaluru -560 037, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.*

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1846

दिनांक/Date : 31 Dec 2014

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

31/12/14

*Phnal*  
(पी.जयपाल /P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)